न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलसंख्या 58/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/154)

1. शम्भू पुत्र महादेव जाति मीना, निवासी खेडा तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।

–अपीलान्ट

बनाम

1. छोटी देवी पत्नि श्रीकिशन
2. लछमा देवी पत्नि प्रभात
3. लाली देवी पत्नि महादेव
4. रामपति पत्नि गोपाल

   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम खेडा तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगलराजावतान जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा दिनांक 27.06.2018 मु0नं0 1138/2018 उनवानी छोटी देवी बनाम राजस्थान सरकार धारा 128 एल आर एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 4 अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–28.11.2024

1. यह अपीलराजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.06.2018 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 06.07.2021 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 353/1354 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.83 है0, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.14 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.23 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज. में स्थित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नांगल राजावतान को आदेश दिये गये कि उक्त आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराये जाने हेतु अनुभवी पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षकों की टीम गठित कर पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करावें एवं पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 को पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 27.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट शम्भू पुत्र महादेव द्वारा यह अपील प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा दिनांक 27.06.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के यहां दिनांक 25.06.2018 को प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रभावित पडौसी अपीलान्ट व अन्य खातेदारान को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना कानून के विपरीत तरीके से उक्त प्रकरण को दर्ज कर दिनांक 27.06.2018 को तहसीलदार नागलराजावतान को उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराये जाने हेतु अनुभवी पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षकों की टीम गठित कर पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का आदेश दे दिया। जिस भूमि पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया गया है वह भूमि रामफूल पुत्र हरबक्स की नहीं थी। सेटलमेन्ट ने गलत एन्ट्री की है, जिसके आधार पर रामफूल ने रेस्पो. नंबर 1 लगा० 4 को बिना कब्जा विक्रय कर दी। उक्त भूमि के एक भी इंच भू–भाग पर रेस्पो. नंबर 1 लगा0 4 का कब्जा नहीं है, किन्तु बिना कब्जे व नये पुराने रिकार्ड की जॉच किये बिना अपीलान्ट को अपने उज्रात पेश करने का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय मिलीभगत से पारित करवाया गया है।

सर्वप्रथम दिनांक 25.06.2021 को अपीलान्ट उक्त भूमि के लगते स्थित अपनी भूमि खसरा नंबर 351, 352, 353, 353/1371 व खसरा नंबर 353/1354 पर आगामी फसल करने हेतु ठीक कर रहा था कि अप्रार्थी नंबर 1 लगा० 4 ने आकर अपीलान्ट को धमकी दी कि तुम्हारे कब्जे की भूमि मेरे नाम है तथा मैनें उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी का आदेश करवा लिया है और मैं अब सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाकर तुमको मौके से बेदखल करूगां तो अपीलान्ट ने रेस्पो. नंबर 1 लगा० 4 से पूछा कि हमको तो कोई नोटिस नही आया तुमने हमारे कब्जे की भूमि का कैसे आदेश करवा लिया तो उक्त लोगों ने कहा कि हमने उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान से आदेश करवा लिया है अब हम अतिशीघ्र तुमको मौके से बेदखल करेगें तो उन्हें बडी मुश्किल से समझा बुझाकर भेजा और अपीलान्ट ने उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान की अदालत मे जाकर तलाश किया और तलाश करके दिनांक 29.06.2021 को नकल हेतु आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर दिनांक 30.06.2021 को नकल तैयार होकर मिली तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। उक्त आदेश में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा दिनांक 27.06.2018 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 25.06.2021 को होना अंकित किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

है जिसको सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। प्रकरण पत्थरगढी से संबधित है जिसमें पडौसी खातेदारों को सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत पूर्ण अवसर दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से विदित नहीं होता है। प्रकरण में कोई समरी जॉच भी नहीं की गई है। अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा बाद सुनवाई एवं समरी जांच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा बाद सुनवाई एवं समरी जांच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर